

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण

मेसर्स साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) के लिए दरमान (एसओआर)

दिनांक: 28. 02. 2025 , गोवा

अधिसूचना

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 53 - निर्देश जारी करने हेतु केंद्र सरकार की शक्ति के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुरगांव पत्तन प्राधिकरण मंडल, मेसर्स साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) के घाट संख्या 5ए और 6ए के टैरिफ में वृद्धि हेतु प्रस्ताव का निपटान करता है। इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मेसर्स एसडब्ल्यूपीएल का संशोधित दरमान (एसओआर) निर्धारित किया गया है।

हस्ता/- □
मुरगांव पत्तन प्राधिकरण मंडल के अध्यक्ष

साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड
दरमान (दि. 01-04-2025 से प्रभावी)

परिभाषाएँ- सामान्य

इस दरमान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी :-

- (i). "प्रति दिन" का अर्थ प्रति कैलेंडर दिवस से है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।
- (ii). "एसडब्ल्यूपीएल" का अर्थ है, भारत में निगमित साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड कंपनी, जो इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती है।
- (iii). "पत्तन" का अर्थ है मुरगांव पत्तन प्राधिकरण (एमपीए) जबकि "टर्मिनल" का अर्थ साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल), जो अब या इसके बाद साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड द्वारा प्रचालित किया जाएगा।
- (iv). "तटीय जहाज" का अर्थ है भारत में किसी भी पत्तन या स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन या स्थान के बीच व्यापार में विशेष रूप से नियोजित कोई भी जहाज, जिसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस हो।
- (v). "तटीय कार्गो" का अर्थ किसी भी कार्गो से है, जिसे जहाज द्वारा किसी अन्य भारतीय पत्तन से शिपमेंट के बाद एक भारतीय पत्तन में उतारा जाता है या इसके विपरीत, चाहे उसका वास्तविक उद्दम या गंतव्य कहीं भी हो।
- (vi). "विदेशी कार्गो" का अर्थ है तटीय कार्गो के अलावा अन्य कोई कार्गो।
- (vii). "विदेशगामी जहाज" का अर्थ है, तटीय जहाज के अलावा कोई भी जहाज।

(viii). "टन" या "एमटी" का अर्थ, 1,000 किलोग्राम या एक घन मीटर का एक मैट्रिक टन है।

सामान्य निबंधन एवं शर्तें

(i). जहाज की स्थिति, जैसा कि सीमा शुल्क या नौवहन महा निदेशक द्वारा प्रमाणन किया गया हो, जहाज संबंधित प्रभारों की वसूली के प्रयोजन के लिए जहाज को 'तटीय या विदेश गामी' में वर्गीकृत करने के लिए नियन्त्रिक कारक होगा और कार्गो की प्रकृति या इसके मूल प्रयोजन के लिए कोई प्रासंगिक नहीं होगा।

□

ii). जहाज संबंधी प्रभारों (वीआरसी) की वसूली के लिए जहाज के वर्गीकरण की प्रणाली।

(क) सामान्य व्यापार लाइसेंस रखने वाला भारतीय ध्वज का एक विदेशगामी जहाज सीमा शुल्क रूपांतरण आदेश के आधार पर तटीय नौसंचालन में परिवर्तित हो सकता है। ऐसे जहाज जो भारतीय पत्तन में अपने पहले पत्तन आगमन पर सीमा शुल्क रूपांतरण आदेश के आधार पर तटीय नौसंचालन में परिवर्तित हो जाता है, को तब तक आगे सीमा शुल्क रूपांतरण की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक यह भारतीय तट पर नहीं पहुंचता है।

(ख) विदेशी ध्वज का एक विदेशगामी जहाज नौवहन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि या यात्रा के लिए जारी लाइसेंस और एक सीमा शुल्क रूपांतरण आदेश के आधार पर तटीय नौसंचालन में परिवर्तित हो सकता है।

(iii) रियायती तटीय दर और विदेशी दर पर जहाज संबंधित प्रभारों (वीआरसी) की वसूली के लिए मानदंड । □

(क) ऐसे रूपांतरण के मामलों में, लदान करने वाले पत्तन द्वारा तटीय दरों को उस समय से प्रभारित किया जाएगा जब जहाज द्वारा तटीय माल का लदान करना शुरू किया जाता है।

(ख) इस तरह के रूपांतरण के मामलों में तटीय दरें तब तक प्रभार्य रहेंगी जब तक कि जहाज भारतीय पत्तन के अंतिम कॉल पर तुरंत निर्वहन संचालन पूरा नहीं कर लेता, उसके तुरंत बाद विदेशगामी दरें अभारण पत्तनों द्वारा प्रभार्य होंगी।

(ग) नौवहन महानिदेशालय से तटीय लाइसेंस रखने वाले समर्पित भारतीय तटीय जहाजों के लिए तटीय दरों के हकदार होने के लिए किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) रियायती तटीय दर पर कार्गो संबंधित प्रभारों (सीआरसी) की वसूली हेतु मानदंड । □

□

(क) 'विश्वव्यापी और तटीय' प्रचालन के लिए जारी किए गए सामान्य व्यापार लाइसेंस वाले विदेशगामी भारतीय जहाज को संभलाई प्रभार (एच सी) के मामले में यानी निम्नलिखित परिवृश्य में जहाज से तट पर स्थानांतरण और घाट से/भंडारण यार्ड से/से भंडारण यार्ड में घाट शुल्क सहित ,के संबंध में यथा ग्राह्य तटीय दरें लागू की जाएंगी:

(i) तटीय नौसंचालन में परिवर्तन और किसी भी भारतीय पत्तन से तटीय कार्गो की दुलाई करना और किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गंतव्यित करना ।

(ii) तटीय नौसंचालन में *अपरिवर्तित , लेकिन किसी भी भारतीय पत्तन से तटीय कार्गो की दुलाई करना और किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गंतव्यित करना।

* केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का परिपत्र सं.15/2002-सीमा शुल्क, दिनांक 25 फरवरी 2002, भारतीय ध्वज के विदेशगामी जहाजों को बिना किसी सीमाशुल्क रूपांतरण के एक भारतीय पत्तन से भारत में दूसरे पत्तन तक तटीय कार्गो की दुलाई की अनुमति देता है।

(ख). नौवहन महा निदेशक द्वारा जारी निर्दिष्ट अवधि या नौप्रस्थान के लिए जारी किए गए लाइसेंस और सीमाशुल्क रूपांतरण आदेश के आधार पर तटीय नौसंचालन में परिवर्तित एक विदेशी ध्वज के जहाज के मामले में, किसी भी भारतीय पत्तन से भारण किए गए और किसी अन्य भारतीय पत्तन को गंतव्यित तटीय कार्गो/कंटेनर के लिए तटीय कार्गो/कंटेनर के लिए यथा ग्राह्य दर वसूली जानी चाहिए।

(v) जहाँ कहीं भी जहाज से संबंधित शुल्कों की दरें अमेरिकी डॉलर में निर्धारित की गई हैं, वहाँ शुल्कों की वसूली अमेरिकी मुद्रा को उसके समतुल्य भारतीय रूपये में परिवर्तित करने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहयोगी बैंकों या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित बाजार-खरीद दर पर भारतीय रूपये में की जाएगी। पत्तन सीमा में जहाज के प्रवेश की तिथि को ऐसे रूपांतरण के दिन के रूप में गिना जाएगा।

(vi) तीस दिन से अधिक समय तक पत्तन में रहने के मामले में जहाजों के आगमन की तारीख से तीस दिनों में एक बार विनिमय दर की नियमित समीक्षा की जाएगी। ऐसे मामलों में, समीक्षा के समय विद्यमान उचित विनिमय दर के संदर्भ में बिलिंग का आधार संभावित रूप से बदल जाएगा।

(vii)

(क) सभी तटीय कार्गो के लिए कार्गो संबंधित प्रभार, थर्मल कोयले, पीओएल के अलावा, कच्चा तेल, लौह अयस्क और लौह अयस्क पेलेट्स सहित सामान्य कार्गो/कंटेनर संबंधित प्रभारों के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) कार्गो संबंधी प्रभारों के मामले में, जहाज-तट स्थानांतरण, और घाट से भंडारण यार्ड /भंडारण यार्ड से घाट स्थानांतरण के लिए घाट शुल्क सहित सभी प्रासंगिक संभलाई प्रभारों पर रियायती दरें वसूल की जानी चाहिए।

(ग) किसी विदेशी पत्तन से भारतीय पत्तन 'क' पर पहुंचने वाले कार्गो पर, जो बाद में भारतीय पत्तन 'ख' पर ट्रांसशिपमेंट के लिए आता है, तटीय यात्रा के लिए प्रासंगिक रियायती प्रभार वसूल किए जाएंगे । दूसरे शब्दों में, तटीय यात्रा करने की अनुमति वाले जहाज द्वारा भारतीय पत्तनों से/तक ले जाए जाने वाले कार्गो रियायत के लिए पात्र होंगे।

(घ) तटीय कार्गो/जहाजों के लिए प्रभार "भारतीय रूपए" में अंकित और संग्रहित किए जाएंगे।

(viii) बकाया राशि की गणना के प्रयोजन के लिए भार की इकाई 1 टन या 1000 किलोग्राम होगी, आयतन माप की इकाई 1 घन मीटर होगी तथा बल्क में तरल पदार्थों के लिए क्षमता माप की इकाई 1000 लीटर होगी।

(ix) किसी भी व्यक्तिगत वस्तु के आयतन अथवा क्षमता के आधार पर सकल भार या माप की गणना करते समय, 0.5 तक के अंशों को 0.5 इकाई के रूप में लिया जाएगा और

0.5 और उससे अधिक के अंशों को एक इकाई के रूप में माना जाएगा, सिवाय जहाँ अन्यथा निर्दिष्ट किया गया हो।

(x) विलंबित भुगतान/वापसी राशि पर ब्याजः

- (क) उपयोगकर्ता इस दरमान के अंतर्गत विलंबित भुगतान पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा। इसी तरह, एसडब्ल्यूपीएल को विलंबित वापसी राशि पर दंडात्मक ब्याज अदा करेगा।
(ख) दंडात्मक ब्याज की दर 15% होगी। दंडात्मक ब्याज दर एसडब्ल्यूपीएल और पत्तन उपयोगकर्ता दोनों पर लागू होगी।
(ग) उपयोगकर्ताओं द्वारा भुगतान में देरी की गणना एसडब्ल्यूपीएल द्वारा बिल जारी करने की तिथि के 10 दिन बाद ही की जाएगी। हालांकि, यह प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहाँ महा पत्तन न्यास अधिनियम में निर्धारित सेवाओं का लाभ उठाने से पहले भुगतान किया जाना है और / या जहाँ इस दरमान में अग्रिम भुगतान निर्धारित है।
(घ) वापसी में देरी सेवाओं के पूरा होने की तारीख से या उपयोगकर्ताओं से आवश्यक सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने, जो भी बाद में हो, से केवल 20 दिनों की गणना की जाएगी।
- (ix) परिकलित सभी प्रभार बिल के सकल जोड़ पर अगले उच्चतर रूपए में पूर्णांकित किए जाएंगे।
- (xii) (क) दरमान में निर्धारित दरें अधिकतम हैं, इसी तरह, रियायत और छूट निम्नतम स्तर हैं। यदि एसडब्ल्यूपीएल चाहे तो कम दरें वसूल कर सकता है और/या अधिक रियायत और छूट की अनुमति दे सकता है।
- (ख) एसडब्ल्यूपीएल, यदि वे चाहें तो, दरमान में निर्धारित दरों के अनुप्रयोग को नियंत्रित करने वाली निर्धारित शर्तों को युक्तिसंगत बना सकता है, यदि इस तरह के युक्तीकरण से उपयोगकर्ता को प्रति यूनिट दर में राहत मिलती है और दरमान निर्धारित यूनिट दर अधिकतम स्तर से अधिक नहीं होंगी।
(ग) एसडब्ल्यूपीएल को इस तरह की कम की गई दरों और/या ऐसी दरों के अनुप्रयोग को नियंत्रित करने वाली शर्तों के युक्तीकरण के बारे में जनता को सूचित करना होगा और जनता को इस तरह की कम की गई दरों और/या ऐसी दरों के अनुप्रयोग को नियंत्रित करने वाली शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव को सूचित करते रहना होगा। निर्धारित दरें टीएएमपी द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक नहीं होंगी।
- (xiii) उपयोगकर्ताओं को एसडब्ल्यूपीएल के कारण उपयुक्त स्तर से अधिक देरी के लिए प्रभार अदा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (xiv) पूर्वी तट पर स्थित एक भारतीय पत्तन और पश्चिमी तट पर एक अन्य भारतीय पत्तन के बीच या इसके विपरीत, श्रीलंका के प्रादेशिक जल के माध्यम से एक जहाज द्वारा परिवहन किए गए तटीय सामान, चाहे वे बीच में श्रीलंका में किसी भी पत्तन पर रुके या नहीं और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 38/2018-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 11 मई 2018 के अनुसार जहाज में परिवर्तन किए बिना, जहाज से संबंधित शुल्क और कार्गो से संबंधित शुल्क में रियायत के लिए पात्र होंगे।
- (xv) पूर्वी तट पर स्थित भारतीय पत्तन और भारत में नदी पत्तन के बीच या इसके विपरीत, बांग्लादेश जलमार्ग से गुजरने वाले जहाज द्वारा और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की दिनांक 11 मई 2018 की अधिसूचना संख्या 38/2018-सीमा शुल्क (एन.टी.) के अनुसार जहाज में परिवर्तन किए बिना परिवहन किए गए तटीय सामान, जहाज संबंधी शुल्क और कार्गो संबंधी शुल्क में रियायत के लिए पात्र होंगे।
- (xvi) एसओआर, संबंधित वर्ष के दिनांक 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच प्राधिकरण द्वारा घोषित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में होने वाले बदलाव के 60% की सीमा तक स्वचालित वार्षिक सूचकांक के अधीन है। अगला वार्षिक सूचकांक 1 अप्रैल 2026 से होगा। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अनुक्रमित एसओआर को एसडब्ल्यूपीएल द्वारा एमपीए और प्राधिकरण के संबंधित उपयोगकर्ताओं को सूचित किया जाएगा।

भाग I – जहाज सम्बद्ध प्रभार
खण्ड - क- पत्तन देय राशि और खण्ड - ख - पायलटेज शुल्क

यह सेवाएँ एसडब्ल्यूपीएल के घाट सं. 5ए और 6ए में प्रवेश करने वाले जहाजों को उनके स्वीकृत दरों के अनुसार मुरगांव पत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाएगी। यह प्रभार जहाज के मास्टरों/मालिकों/एजेंटों द्वारा सीधे मुरगांव पत्तन प्राधिकरण को देय होंगे।

खण्ड - ग - घाट किराया प्रभार

घाट संख्या 5ए और 6ए पर घाट किराया प्रभार जहाज के मास्टरों/मालिकों/एजेंटों द्वारा
 एसडब्ल्यूपीएल को निम्नलिखित दरों पर देय होंगे।

घाट सं. 5ए

(घाट संख्या 6ए पर 225 मीटर एलओए वाले दूसरे जहाज के संयोजन में 190 मीटर
 जहाज का अधिकतम एलओए)

| क्र म सं. | जहाज की श्रेणी | प्रति जीआरटी प्रति घंटा या उसके भाग की दर | |
|-----------|----------------|--|----------------------------|
| | | विदेश जाने वाला जहाज (अमेरिकी डॉलर में) | तटीय जहाज (रुपयों में) |
| 1. | सभी जहाज | 0.018 | 0.49 |

घाट सं. 6ए

(यांत्रिकृत प्रचालन प्रणाली के अंतर्गत)

| क्रम सं. | जहाज की श्रेणी | प्रति जीआरटी प्रति घंटा या उसके भाग की दर | |
|----------|----------------------------|--|--|
| | | विदेश जाने वाला जहाज (अमेरिकी डॉलर में) | विदेश जाने वाला जहाज (अमेरिकी डॉलर में) |
| 1. | 30,000 जीआरटी तक | 0.0395 | 1.07 |
| 2. | 30,001 जीआरटी तथा उससे ऊपर | 0.0586 | 1.57 |

टिप्पणी :

- (1). घाट किराया प्रभारों में घाट पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के प्रभार शामिल हैं, जैसे कि घाट अधिभोगिता, घाट पर ओवरटाइम, जहाज द्वारा एकत्र किए गए कचरे को हटाना और घाट पर वितरित करना, घाट की सफाई, फायर वाच आदि।
- (2). उपरोक्त प्रभार घाटों पर या उसके पास आने वाले या पड़े जहाजों और अन्य प्लावी जलयानों के मास्टरों, मालिकों या एजेंटों पर प्रति जीआरटी प्रति घंटे या उसके भाग के रूप में वसूला जाएगा।
- (3). विदेश जाने वाले जहाज के मामले में प्रति जहाज पर लगने वाला बर्थ किराया शुल्क न्यूनतम 767.07 अमेरिकी डॉलर और तटीय जहाज के मामले में ₹ 20,529 है।
- (4). घाट किराए की अवधि, जहाज द्वारा घाट अधिग्रहित किए जाने के समय से गिनती की जाएगी।
- (5). उस अवधि के लिए कोई घाट किराया शुल्क देय नहीं होगा जब एसडब्ल्यूपीएल के शोर क्रेन की अनुपलब्धता / मैकेनिकल हैंडलिंग सिस्टम की खराबी या एसडब्ल्यूपीएल के किसी अन्य कारण से भारण / अभारण प्रचालन नहीं किया जा सकता है।
- (6).
 - (i) घाट किराया जहाज के नौसंचालन के लिए तैयार होने का संकेत देने के समय के 4 घंटे बाद बंद हो जाएगा।।।
 - (ii). घाट किराए की समाप्ति के लिए निर्धारित 4 घंटे की समय सीमा में अनुकूल ज्वारीय परिस्थितियों, खराब मौसम और रात्रि नौसंचालन की कमी के कारण

- जहाज का प्रतीक्षा समय शामिल नहीं होगा।
- (iii). जहाज का मास्टर/एजेंट के बल अनुकूल ज्वारीय और मौसम की स्थिति के अनुसार ही नौचालन के लिए तैयार होने का संकेत देगा।
 - (iv). "झूठे संकेत" के लिए दंडात्मक घाट किराया एक दिन (24 घंटे) के घाट किराया प्रभार के बराबर होगा।
"झूठा संकेत" तब होगा जब एक जहाज तत्परता का संकेत देता है और इस अनुमान से पायलट की मांग करता है, जब वह इंजन के तैयार न होने या कार्गो संचालन पूरा नहीं होने या जहाज से संबंधित ऐसे कारणों की वजह से जहाज अन-बर्थिंग के लिए तैयार न हो।
इसमें सिम्प्लिंग तत्परता शामिल नहीं है जब एक जहाज प्रतिकूल ज्वार, रात्रि नौसंचालन की कमी या प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण नौचालन करने में सक्षम नहीं होता है।
- (7). घाट 5 ए और 6ए पर डिबैलास्टिंग का समय 3 घंटे का होगा और उससे अधिक का दंडात्मक घाट किराया प्रभार सामान्य घाट किराया प्रभार के पांच गुना वसूल किया जाएगा, घटना को प्रति घंटे या उसके हिस्से तक घटाया जा सकता है, जो जहाज पर लागू किया जा सकता है। यह घाट पर जहाजों के ठहराव की संपूर्ण अवधि के लिए लागू सामान्य घाट किराया प्रभारों के अतिरिक्त होगा।
- (8). इन घाटों पर दूसरे जहाज के ऑफ-साइड में खड़े जहाज के लिए घाट किराया प्रभार जहाजों द्वारा देय सामान्य प्रभार का 50% होगा जो न्यूनतम ₹ 20,529 के अधीन होगा।
- (9). पत्तन द्वारा स्वामित्व/संचालित/अनुबंधित/चार्टर्ड/अन्यथा उपयोग किए गए जहाजों के लिए सभी जहाज-संबंधित प्रभार, जहाज-रहित दिनों के दौरान बिना किसी लागत के घाट का उपयोग कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड को कोई व्यावसायिक प्रभाव या व्यवसाय की हानि नहीं हो रही है। यह दुबारा किनारे लगने वाले जहाजों पर भी लागू होता है।
- (10). लाइसेंस समझौते के प्रावधान प्राथमिकता बर्थिंग और उस पर प्रभार, यदि कोई हो, को नियंत्रित करेंगे। जब भी किसी जहाज को प्राथमिकता बर्थिंग दी जाती है, तो एक दिन (24 घंटे) के लिए घाट किराया प्रभार के बराबर शुल्क या घाट पर वास्तविक ठहराव की कुल अवधि के लिए परिकलित घाट किराया प्रभारों का 75%, जो भी अधिक हो, वसूल किया जाएगा।
- (11). (i) जहाज को ऑस्टिंग प्राथमिकता देने के लिए, एक दिन के लिए घाट किराया प्रभारों के समतुल्य शुल्क या घाट पर जहाजों के वास्तविक ठहराव की कुल अवधि के लिए परिकलित घाट किराया प्रभारों का 100%, जो भी अधिक हो, वसूल किया जाएगा।
- (ii). इसके अलावा, जहाजों के बाहर / अंदर स्थानांतरण का शुल्क उन जहाजों पर लगाया जाएगा, जिन्हें ऑस्टिंग की प्राथमिकता प्रदान की जाती है।
- (iii). घाट संख्या 6ए पर आउटिंग प्राथमिकता केवल तभी दी जाएगी जब जहाजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण प्रति मौसम कार्य दिवस 25,000 मीट्रिक टन कार्गो का अवतारण / भारण दर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

भाग - II कार्गो सम्बद्ध प्रभार
खण्ड - क
घाट संख्या 5 ए और 6ए पर घाट प्रभार

घाट संख्या 5ए और 6ए पर संभलाए गए कार्गो पर घाट शुल्क, कार्गो की अनुमानित मात्रा पर कार्गो के आयातक या निर्यातक द्वारा नीचे निर्दिष्ट दरों पर सीधे एसडब्लूपीएल को देय होगा, जो सीमा शुल्क के साथ दायर प्रविष्टि के बिल में घोषित किया गया है:

| क्र.सं. | वस्तु का विवरण | इकाई | आयात/निर्यात के लिए दर (रु. में) | |
|---------|---|-------|-------------------------------------|-------------|
| | | | विदेशी कार्गो | तटीय कार्गो |
| 1. | कोयला (सभी प्रकार) | एम टी | 71.75 | 43.06 |
| 2. | लौह अयस्क | एम टी | 71.75 | 71.75 |
| 3. | मेटालुजिकल कोक /कोक /चारकोल | एम टी | 82.27 | 49.35 |
| 4. | चूना पत्थर | एम टी | 18.54 | 11.12 |
| 5. | लौह अयस्क पेलैट्स | एम टी | 55.62 | 55.62 |
| 6. | धातु उत्पाद, स्टील कॉइल्स, स्लैब | एम टी | 55.62 | 33.37 |
| 7. | कोई अन्य बल्क कार्गो जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं है | एम टी | 55.62 | 33.37 |

किसी भी कार्गो को "अनिर्दिष्ट" श्रेणी के तहत वर्गीकृत करने से पहले घाट शुल्क अनुसूची, प्रासंगिक सीमा शुल्क वर्गीकरण को यह पता लगाने के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए कि क्या कार्गो को घाट शुल्क अनुसूची में उल्लिखित किसी निर्दिष्ट श्रेणियों तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

खण्ड -ख
कार्गो संभलाई प्रभार

घाट संख्या 5ए और 6ए पर कार्गो संभलाई प्रभार नीचे निर्दिष्ट दरों पर कार्गो के आयातक या निर्यातक द्वारा सीधे एसडब्लूपीएल को देय होगा:

घाट सं. 5 ए पर

| क्र.सं. | वस्तु का विवरण | इकाई | आयात/नियोत के लिए दर (रु. में) | |
|---------|---|-------|-----------------------------------|-------------|
| | | | विदेशी कार्गो | तटीय कार्गो |
| 1. | लौह अयस्क पेलैट्स | एम टी | 292.00 | 292.00 |
| 2. | धातु उत्पाद, स्टील कॉइल्स, स्लैब | एम टी | 292.00 | 175.20 |
| 3. | कोई अन्य बल्क कार्गो जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं है | एम टी | 279.25 | 167.55 |

घाट सं. 6 ए पर

| क्र.सं. | वस्तु का विवरण | इ का ई | आयात/नियोत के लिए दर (रु. में) | |
|---------|---|--------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | विदेशी कागा | तटीय कागा |
| 1. | कोयला (सभी प्रकार) | एम टी | 239.18 | 143.49 |
| 2. | लौह अयस्क | एम टी | 239.18 | 239.18 |
| 3. | मेटालुजैकल कोक /कोक /चारकोल | एम टी | 263.04 | 157.82 |
| 4. | चूना पत्थर | एम टी | 243.32 | 146.00 |
| 5. | लौह अयस्क पेलैट्स | एम टी | 292.00 | 175.20 |
| 6. | धातु उत्पाद, स्टील कॉइल्स, स्लैब | एम टी | 292.00 | 175.20 |
| 7. | कोई अन्य बल्क कागों जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं हैं | एम टी | 275.77 | 165.46 |

टिप्पणियाँ:

(1) घाट संख्या 5ए पर, कार्गो संभलाई प्रभार में निम्नलिखित सेवाएं शामिल होंगी:

- जहाज से घाट तक माल उतारना या इसके विपरीत,
- घाट से एसडब्ल्यूपीएल स्टैकयार्ड तक कार्गो का संचलन या इसके विपरीत,
- एसडब्ल्यूपीएल स्टैकयार्ड के भीतर संचलन,
- रेलवे वैगनों से माल उतारना या इसके विपरीत।

(2) घाट संख्या 6ए पर कार्गो संभलाई प्रभार में निम्नलिखित सेवाएं शामिल होंगी:

- जहाज से घाट तक माल उतारना या इसके विपरीत,
- घाट से एसडब्ल्यूपीएल स्टैकयार्ड तक कार्गो का संचलन या इसके विपरीत,
- एसडब्ल्यूपीएल स्टैकयार्ड के भीतर संचलन,
- रेल सुपुर्दग्गी के लिए रेलवे वैगनों पर लोडिंग या इसके विपरीत।

(3) अनुसूची में निर्धारित उपरोक्त संभलाई प्रभार में वैगनों को तिरपाल/प्लास्टिक कवर से ढकना शामिल नहीं है।

(4) उपयोगकर्ताओं को उनेजिंग और लैशिंग (उपयुक्त श्रम और सामग्री सहित) की व्यवस्था जहाज के मास्टर की संतुष्टि के अनुसार अपनी लागत पर करनी होगी।

(5) कार्गो, संभलाई के लिए प्राप्त होने से पहले, कार्गो संभलाई प्रभार का 50% देय होगा। कार्गो संभलाई प्रभार का शेष 50%, कार्गो की निकासी/शिपमेंट से पहले देय होगा।

खण्ड- ग
भू-किराया/भंडारण प्रभार
एसडब्ल्यूपीएल के स्टैकयार्ड में भंडारित कार्गो के लिए भंडारण प्रभार इस प्रकार होंगे :

I. आयात/आवक कार्गो के लिए भूमि किराया/भंडारण प्रभार

(एसडब्ल्यूपीएल में शेष कार्गो के लिए प्रति मैट्रिक टन प्रतिदिन)

| क्रम सं. | वस्तु का विवरण | निशुल्क अवधि के बाद शेष पहले पाँच दिनों के लिए दर | छठे दिन से दसवें दिन तक की दर | ग्यारहवें दिन से बीसवें दिन तक की दर | इक्कीसवें दिन से आगे के लिए दर |
|----------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | कोयला (सभी प्रकार) | 13.91 | 35.92 | 71.84 | 143.68 |
| 2. | मेटालुर्जिकल कोक /कोक (सभी प्रकार)/चारकोल | 22.02 | 57.94 | 107.76 | 215.52 |
| 3. | चूना पथर | 13.91 | 35.92 | 71.84 | 143.68 |
| 4. | कोई अन्य बल्क कागो जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं है | 22.02 | 57.94 | 107.76 | 215.52 |

टिप्पणियाँ:

- (1). जहाज से कार्गो के पूर्ण अवतारण के बाद या अंतिम पैकेज के अवतारण के बाद, सात निःशुल्क दिनों की अनुमति दी जाएगी। निःशुल्क अवधि के परिकलन हेतु रविवार, सीमा शुल्क अधिसूचित अवकाश दिवसों और टर्मिनल के गैर-कार्य दिवसों को शामिल नहीं किया जाएगा।
- (2). निर्धारित निःशुल्क दिनों से अधिक कार्गो के ठहरने के लिए रविवार और सीमा शुल्क अधिसूचित छुट्टियों सहित सभी दिनों के लिए भूमि किराया/भंडारण प्रभार देय होगा।
- (3). निःशुल्क दिनों के अतिरिक्त 21 दिनों के बाद, शेष कार्गो को आयातक/निर्यातक की एकमात्र लागत पर एसडब्ल्यूपीएल के क्षेत्र से बाहर अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
- (4). भूमि किराया /भंडारण लगाने के लिए दिवस की गणना प्रातः 07:00 बजे से अगले दिन प्रातः 7:00 बजे तक की जाएगी।

II . आयात/आवक कार्गो के लिए भूमि किराया/भंडारण प्रभार

(एसडब्ल्यूपीएल में शेष कार्गो के लिए रूपए प्रति मैट्रिक टन प्रतिदिन)

| क्रम सं. | वस्तु का विवरण | निशुल्क अवधि के बाद शेष पहले पाँच दिनों के लिए दर | छठे दिन से दसवें दिन तक की दर | ग्यारहवें दिन से बीसवें दिन तक की दर | इक्कीसवें दिन से आगे के लिए दर |
|----------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | आयन पेलेट्स □ | 13.91 | 35.92 | 71.84 | 143.68 |
| 2. | धातु उत्पाद, स्टील कॉइल्स , स्लैब और अन्य सामान्य बल्क कार्गो | 6.95 | 13.90 | 35.92 | 71.84 |

टिप्पणियाँ :

- (1). निर्यात कार्गो के मामले में, कार्गो/माल को पहली बार प्राप्त होने के दिन से सात निःशुल्क दिनों की अनुमति दी जाएगी। जाएगी। निःशुल्क अवधि के परिकलन हेतु रविवार, सीमा शुल्क अधिसूचित अवकाश दिवसों और टर्मिनल के गैर-कार्य दिवसों को शामिल नहीं किया जाएगा।
- (2). निर्धारित निःशुल्क दिनों के बाद, ऊपर बताए अनुसार रविवार और सीमा शुल्क अधिसूचित अवकाश दिवसों सहित सभी दिनों के लिए भूमि किराया/भंडारण प्रभार देय होगा।

- (3) निःशुल्क दिनों के अतिरिक्त 21 दिनों के बाद, शेष कार्गो को निर्यातक की एकमात्र लागत पर एसडब्ल्यूपीएल के क्षेत्र से बाहर अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
- (4) भूमि किराया /भंडारण लगाने के लिए दिवस की गणना प्रातः 07:00 बजे से अगले दिन प्रातः 7:00 बजे तक की जाएगी।
- (5) यदि सम्पूर्ण माल निःशुल्क अवधि के भीतर एकत्रित नहीं किया गया है और शेष माल अगले जहाज से जोड़ दिया जाता है, इस दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि से अतिरिक्त निःशुल्क अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी। अन्यथा, उपरोक्त अनुसूची में निर्धारित दरों के अनुसार लागू उचित दर पर दंडात्मक भूमि किराया देय होगा।

खण्ड -g के लिए सामान्य टिप्पणी :

कार्गो पर भंडारण प्रभार/भूमि किराया उस अवधि के लिए प्रभारित नहीं किए जाएंगे, जब एसडब्ल्यूपीएल, अपने ऊपर आरोप्य कारणों से उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर कार्गो की सुपुर्दग्दी/नौभारण करने की स्थिति में नहीं हो।

खंड - घ

धूल दमन प्रभार

प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण के लिए धूल दमन हेतु छिड़के गए पानी के लिए धूल दमन प्रभार कोयला, कोक और चूना पथर पर अनुमानित मात्रा पर निम्नलिखित दरों पर लगाया जाएगा:

कोयला, चूना पथर और कोक के लिए : ₹ 3.94 प्रति मैट्रिक

यह प्रभार जहाज से माल उतारने से लेकर रेलवे वैगनों पर माल लादने तक लगाया जाएगा, जिसमें एस डब्ल्यू पी एल स्टैकयार्ड में भंडारण भी शामिल है।

भाग - III

अन्य सेवाएँ

1. आगंतुक प्रवेश पास

| □ | वार्षिक | मासिक | □ | दैनिक |
|---------------------------|----------|---------|---|---------|
| (क).□ प्रति आवेदन □ | ₹ 255.60 | ₹ 63.90 | | ₹ 25.56 |
| (ख).□ प्रति प्रतिस्थापन □ | ₹ 63.90 | ₹ 63.90 | | ₹ 25.56 |

2. वाहन प्रवेश पास

प्रति प्रवेश ₹ 95.85

टिप्पणी : कार्गो की सुपुर्दग्दी /प्रेषण के लिए एसडब्ल्यूपीएल घाट में प्रवेश करने/ से निकलने वाले वाहनों से वाहन प्रवेश प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।

3. फोटोग्राफी

| | | |
|-------|--|----------------------|
| (क).□ | फिल्म शूटिंग और फोटोग्राफी □ | ₹ 10863.00 प्रति दिन |
| (ख).□ | नौभार संभलाई की तस्वीरें लेना □ | ₹ 639.00 प्रति दिन |
| (ग).□ | कर्मियों और अन्य की तस्वीरें लेना □ | ₹ 319.50 प्रति दिन |
| (घ).□ | वीडियोग्राफी (प्रचालन गतिविधियों से संबंधित) | ₹ 3195.00 प्रति दिन |

4. क्रेन किराया प्रभार

घाट संख्या 5ए और 6ए पर संस्थापित एसडब्ल्यूपीएल के क्रेनों के लिए किराया प्रभार कार्गो संभलाई के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग के लिए सीधे एसडब्ल्यूपीएल को निम्नलिखित दरों के अनुसार देय होगा:

(₹ प्रति घंटा)

| | | |
|------|--|------------|
| (a). | 104/70 मैट्रिक टन क्षमता वाले मोबाइल हार्बर क्रेन के लिए | ₹ 37021.00 |
| (b). | अन्य क्रेन के लिए | ₹ 22213.00 |

- - - - -

MORMUGAO PORT AUTHORITY

Scale of Rates (SOR) for M/s. South West Port Limited (SWPL).

Dated: 28.02.2025, GOA

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under section 53 – Power of Central Government to issue directions, of the Major Port Authorities Act, 2021, the Board of the Mormugao Port Authority hereby disposes of the proposal of M/s. South West Port Ltd. (SWPL) for increase in Tariff of Berth No. 5A & 6A. The revised Scale of Rates (SoR) of M/s. SWPL has been set out in the Schedule annexed to this Notification.

Sd/-

Chairperson of the Board of Mormugao Port Authority

SOUTH WEST PORT LIMITED

SCALE OF RATES (w.e.f 01.04.2025)

1. DEFINITIONS - GENERAL

In this Scale of Rates unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

- (i). **"Per Day"** means per calendar day unless otherwise stated.
- (ii). **"SWPL"** means South West Port Limited a company incorporated in India, its successors and assigns.
- (iii). **"Port"** means the Mormugao Port Authority (MPA) whereas "Terminal" means South West Port Limited (SWPL), now or hereafter operated by South West Port Limited.
- (iv). **"Coastal Vessel"** means any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal license issued by the competent authority.
- (v). **"Coastal Cargo"** means any cargo, which the vessel discharges at one Indian port after shipment from another Indian port or vice versa irrespective of its actual origin or destination.
- (vi). **"Foreign Cargo"** means any cargo other than coastal cargo.
- (vii). **"Foreign-going Vessel"** means any vessel other than a coastal vessel.
- (viii). **"Tonne"** or **"MT"** means one Metric Tonne of 1,000 kilograms or one cubic metre.

2. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

- (i). The Status of the vessel, as borne out by its certification by the Customs or the Director General of Shipping, is the relevant factor to decide whether vessel is '*coastal*' or '*foreign-going*' category for the purpose of levying vessel related charges; and, the nature of cargo or its origin will not be of any relevance for this purpose.
- (ii). System of classification of vessel for levy of Vessel Related Charges (VRC)
 - (a). A foreign going vessel of Indian flag having a General Trading Licence can convert to coastal run on the basis of a Customs Conversion Order. Such vessel that converts into coastal run based on the Customs Conversion Order at her first port of call in Indian Port, no further custom conversion is required, so long as it moves on the Indian Coast.
 - (b). A Foreign going vessel of foreign flag can convert to coastal run on the basis of a License for Specified Period or voyage issued by the Director General of Shipping and a custom conversion order.
- (iii). Criteria for levy of Vessel Related Charges (VRC) at Concessional Coastal rate and foreign rate
 - (a). In cases of such conversion, coastal rates shall be chargeable by the load port from the time the vessel starts loading coastal goods.
 - (b). In cases of such conversion coastal rates shall be chargeable till the vessel completes discharging operations at the last call of

Indian Port; immediately thereafter, foreign going rates shall be chargeable by the discharge ports.

- (c). For dedicated Indian coastal vessels having a Coastal licence from the Director General of Shipping, no other document will be required to be entitled to coastal rates.
- (iv). Criteria for levy of Cargo Related Charges (CRC) at Concessional Coastal rate:
 - (a). Foreign going Indian Vessel having General Trading License issued for 'worldwide and coastal' operation should be accorded applicable coastal rates with respect to Handling Charges (HC) i.e. ship to shore transfer and transfer from/ to quay to/ from storage yard including wharfage in the following scenario:
 - (i). Converted to coastal run and carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.
 - (ii). Not converted* to coastal run but carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.
 - * The Central Board of Excise and Customs Circular no.15/2002-Cus. dated 25 February 2002 allows carriage of coastal cargo from one Indian port to another port in India, in Indian flag foreign going vessels without any custom conversion.
 - (b). In case of a Foreign flag vessel converted to coastal run on the basis of a License for Specified Period or voyage issued by the Director General of Shipping, and a Custom Conversion Order, the coastal cargo/ container loaded from any Indian Port and destined from any other Indian Port should be levied at the rate applicable for coastal cargo/ container.
- (v). Wherever rates of vessel related charges have been denominated in US dollar terms the charges shall be recovered in Indian Rupees after conversion of US currency to its equivalent Indian Rupees at the market-buying rate notified by the Reserve Bank of India, State Bank of India or its Associates or any other Public Sector Banks as may be specified from time to time. The date of entry of the vessel into the port shall be reckoned with as the day for such conversion.
- (vi). A regular review of exchange rate shall be made once in thirty days from the date of arrival of the vessels in cases of vessels staying in the port for more than thirty days. In such cases, the basis of billing shall change prospectively with reference to the appropriate exchange rate prevailing at the time of the review.
- (vii)
 - (a). The cargo related charges for all coastal cargo, other than thermal coal, POL including crude oil, iron ore and iron pellets, should not exceed 60% of the normal cargo / container related charges.
 - (b). In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship-shore transfer and transfer from / to quay to / from storage yard including wharfage.
 - (c). Cargo from a foreign port, which reaches an Indian Port 'A' for subsequent transhipment to Indian Port 'B' will be, levied the concessional charges relevant for its coastal voyage. In other words, cargo from / to Indian ports carried by vessel permitted to undertake coastal voyage will qualify for the concession.
 - (d). The charges for coastal cargo / vessels shall be denominated and collected in "Indian Rupee".
- (viii) For the purpose of calculating the dues the unit by weight shall be 1 tonne or 1000 kilograms, the unit by volume measurement shall be 1 cubic metre and the unit by capacity measurement for liquids in bulk shall be 1000 litres.

- (ix) In calculating the gross weight or measurement by volume or capacity of any individual item, fractions upto 0.5 shall be taken as 0.5 unit and fractions of 0.5 and above shall be treated as one unit, except where otherwise specified.
- (x) Interest on delayed payments / refunds:
 - (a). The user shall pay penal interest on delayed payments under this Scale of Rates. Likewise, the SWPL shall pay penal interest on delayed refunds.
 - (b). The rate of penal interest will be 15%. The penal interest rate will apply to both the SWPL and the port users ally.
 - (c). The delay in payments by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the SWPL. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services as stipulated in the Major Port Trusts Act and / or where payment of charges in advance is prescribed in this Scale of Rates.
 - (d). The delay in refunds will be counted only 20 days after the date of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later.
- (xi) All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of each bill.
- (xii) (a). The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels, likewise, rebates and discounts are floor levels. The SWPL may, if it so desires, charge lower rates and / or allow higher rebates and discounts.
(b). The SWPL may also, if they so desire, rationalise the prescribed conditionalities governing the application of rates prescribed in the Scale of Rates if such rationalization gives relief to the user in rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates do not exceed the ceiling level.
(c). The SWPL should notify the public such lower rates and / or rationalisation of the conditionalities governing the application of such rates and continue to notify the public any further changes in such lower rates and / or in the conditionalities governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rates notified by the TAMP.
- (xiii) Users will not be required to pay charges for delays beyond reasonable level attributable to the SWPL.
- (xiv) Costal goods transported between an Indian port on east coast and another Indian port on west coast or vice versa, by a vessel through the territorial waters of Sri Lanka, whether or not calling any port in Sri Lanka in between and without change of vessel in terms Notification No.38/2018-Custom (N.T) dated 11 May 2018 of Central Board of Indirect Tax and Customs shall be eligible for concession in vessel related charges and cargo related charges.
- (xv) Costal goods transported between an Indian port on east coast and river port in India or vice versa, by a vessel through a route passing through the Bangladeshi waters and without change of vessel in terms Notification No.38/2018-Customs (N.T) dated 11 May 2018 of Central Board of Indirect Tax and Customs shall be eligible for concession in vessel related charges and cargo related charges.
- (xvi) The SOR is subject to automatic annual indexation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by the Authority occurring between 1st January to 31st December of the relevant year. The next annual indexation will be from 1st April 2026. The indexed SOR by the SWPL to be intimated by the SWPL to the MPA, concerned users to the Authority.

PART I - VESSEL RELATED CHARGES

SECTION – A – PORT DUES and SECTION – B – PILOTAGE FEES

These services will be rendered to the vessels entering the SWPL's berth numbers 5A and 6A by the Mormugao Port Authority as per their approved Scale of Rates. The charges shall be payable directly to the Mormugao Port Authority by masters / owners / agents of the vessel.

SECTION - C - BERTH HIRE CHARGES

Berth Hire Charges at Berth numbers 5A and 6A shall be payable to SWPL by masters / owners / agents of the vessel at the following rates.

BERTH NO.5A (Maximum LOA of Vessel 190 mtrs. in conjunction with another vessel of LOA 225 mtrs. at Berth No.6A)

| Sl. No. | Class of Vessel | Rate per GRT per hour or part thereof | |
|------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | Foreign going Vessel (in US \$) | Coastal Vessels (in ₹) |
| 1. | All Vessels | 0.018 | 0.49 |

BERTH NO.6A (Under Mechanised Operation system)

| Sl. No. | Class of Vessel | Rate per GRT per hour or part thereof | |
|------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | Foreign going Vessel (in US \$) | Coastal Vessels (in ₹) |
| 1. | Upto 30,000 GRT | 0.0395 | 1.07 |
| 2. | 30,001 GRT and above | 0.0586 | 1.57 |

Notes:

- (1). Berth Hire charges includes charges for services rendered and facilities provided at the Berth, such as occupation of berth, overtime at berth, removal of rubbish collected on board by the vessel and delivered on the wharf, cleaning of Berths, fire watch, etc.
- (2). The above charges are leviable against Masters, Owners or Agents of vessels and other floating craft approaching or lying at or alongside berths per GRT per hour or part thereof.
- (3). The Berth hire charges leviable per vessel is subject to a minimum of US\$ 767.07 in case of foreign going vessel and ₹ 20,529 in case of coastal vessel.
- (4). The period of berth hire shall be calculated from the time the vessel occupies the berth.
- (5). No berth hire charges shall be payable for the period when loading / unloading operations cannot be carried out due to non-availability of the shore cranes / mechanical handling system of SWPL, due to breakdown or any other reason attributable to SWPL.
- (6).
 - (i). Berth hire shall stop 4 hours after the time of vessel signaling its readiness to sail.
 - (ii). The time limit of 4 hours prescribed for the cessation of berth hire shall exclude the ship's waiting time for want of favorable tide conditions, inclement weather, and due to lack of night navigation.

(iii). The master / agent of the vessel shall signal readiness to sail only in accordance with favorable tidal and weather conditions.

(iv). The Penal Berth hire shall be equaled to one-day's (24 hours) berth hire charge for a false signal.

"False signal" would be when the vessel signals readiness and asks for a pilot in anticipation even when she is not ready for un-berthing due to engine not being ready or cargo operation not completed or such other reasons attributable to the vessels. This excludes the signaling readiness when a vessel is not able to sail due to unfavorable tide, lack of night navigation or adverse weather conditions."

- (7). The de-ballasting time allowed at berth numbers 5A and 6A shall be 3 hours and beyond that penal berth hire charges shall be levied at five times the normal berth hire charges, the incidence being reduced to per hour or part thereof, that may be applicable to the vessel. This will be in addition to the normal berth hire charges applicable for the entire duration of the vessel's stay at the berth.
- (8). Vessels banked on offside of another vessel at these berths, berth hire charges shall be 50% of normal charges payable by such vessels, subject to the minimum of ₹ 20,529.
- (9). All vessel-related charges for owned/operated/contracted/chartered/otherwise utilized vessels by the port can use the berth during vessel-free days at no cost, ensuring no commercial implications or loss of business to South West Port Limited. Also applicable to double banked vessels.
- (10). The provisions of the License Agreement shall govern priority Berthing and charges on it, if any. Whenever the priority berthing is granted to a vessel, a fee equivalent to Berth Hire charges for a single day (24 hours) or @ 75% of the Berth Hire charges calculated for the total period of actual stay at the Berth, whichever is higher, shall be levied.
- (11). (i). For providing ousting priority to a vessel, a fee equivalent to berth hire charges for a single day (24 hours) or @100% of the berth hire charges calculated for the total period of actual stay of the vessels at berth, whichever is higher, shall be levied.
- (ii). In addition, shifting out / in charges of the vessels shall be levied on the vessels, which are provided ousting priority.
- (iii). Ousting priority at berth no.6A will be accorded only when a discharge / load rate of 25,000 MT of cargo per weather working day cannot be achieved due to restrictions placed by the vessels.

PART - II CARGO RELATED CHARGES

SECTION – A WHARFAGE CHARGES AT BERTH NOS. 5A AND 6A

Wharfage on the cargo handled at berths numbers 5A and 6A shall be payable directly to SWPL, at the rates specified below, by importer or exporter of cargo, on the manifested quantity of cargo, which is declared in the Bill of entry filed with the Customs:

| Sl. No. | Particulars of Commodity | Unit | Rate for Import / Export (in ₹) | |
|------------|--------------------------------------|------|------------------------------------|------------------|
| | | | Foreign Cargo | Coastal Cargo |
| 1. | Coal (all types) | MT | 71.75 | 43.06 |
| 2. | Iron Ore | MT | 71.75 | 71.75 |
| 3. | Metallurgical Coke / Coke / Charcoal | MT | 82.27 | 49.35 |
| 4. | Limestone | MT | 18.54 | 11.12 |
| 5. | Iron Ore Pellets | MT | 55.62 | 55.62 |

| | | | | |
|----|--|----|-------|-------|
| 6. | Metal products, Steel Coils, Slabs | MT | 55.62 | 33.37 |
| 7. | Any other bulk cargo not specified above | MT | 55.62 | 33.37 |

Before classifying any cargo under “Unspecified” category the wharfage schedule, the relevant custom classification should be referred to find out whether the cargo could be classified under any of the specified categories mentioned in the wharfage schedule.

SECTION - B CARGO HANDLING CHARGES

Cargo Handling Charges at Berth numbers 5A and 6A shall be payable on the manifested cargo directly to SWPL by importer or exporter of cargo at the rates specified below:

At Berth No.5A

| Sl. No. | Particulars of Commodity | Unit | Rate for Import / Export (in ₹) | |
|------------|--|------|------------------------------------|------------------|
| | | | Foreign Cargo | Coastal Cargo |
| 1. | Iron Ore Pellets | MT | 292.00 | 292.00 |
| 2. | Metal products, Steel Coils, Slabs | MT | 292.00 | 175.20 |
| 3. | Any other bulk cargo not specified above | MT | 279.25 | 167.55 |

At Berth No.6A

| Sl. No. | Particulars of Commodity | Unit | Rate for Import / Export (in ₹) | |
|------------|--|------|------------------------------------|------------------|
| | | | Foreign Cargo | Coastal Cargo |
| 1. | Coal (all types) | MT | 239.18 | 143.49 |
| 2. | Iron Ore | MT | 239.18 | 239.18 |
| 3. | Metallurgical Coke / Coke / Charcoal | MT | 263.04 | 157.82 |
| 4. | Limestone | MT | 243.32 | 146.00 |
| 5. | Iron Ore Pellets | MT | 292.00 | 175.20 |
| 6. | Metal products, Steel Coils, Slabs | MT | 292.00 | 175.20 |
| 7. | Any other bulk cargo not specified above | MT | 275.77 | 165.46 |

Notes:

- (1). At the berth number 5A, Cargo Handling Charges shall cover the following services:
 - Unloading of cargo from ship to the berth or vice versa,
 - Movement of cargo from the berth to SWPL stackyard or vice versa,
 - Movement within the SWPL stackyard,
 - Unloading from railway wagons or vice versa.
- (2). At the berth number 6A Cargo Handling Charges shall cover the following services:
 - Unloading of cargo from ship to the berth or vice versa,
 - Movement of cargo from the berth to SWPL stackyard or vice versa,
 - Movement within the SWPL stackyard,
 - Loading on railway wagons for rail delivery or vice versa.
- (3). Covering of Wagons by tarpaulin / plastic cover is not included in above handling charges prescribed in the schedule.
- (4). The dunnaging and lashing (inclusive suitable labour & material) will have to be arranged by the users at their costs to the satisfaction of the Master of the vessel.
- (5). 50% of the Cargo Handling Charges shall be payable before the cargo is received for handling. Balance 50% of the Cargo Handling charges shall be payable before the clearance / shipment of the cargo.

SECTION – C
GROUND RENT / STORAGE CHARGES

The storage charges for cargo stored in the stackyard of SWPL shall be as follows:

I. Ground rent / storage charge for import / inward cargo

(₹ per MT per day for the balance cargo in SWPL)

| Sl. No. | Particulars of Commodity | Rate for first Five days remaining after the free period | Rate for Sixth day to Tenth day | Rate for Eleventh day to Twentieth day | Rate for Twenty-first day onwards |
|---------|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. | Coal (all types)/ Iron Ore | 13.91 | 35.92 | 71.84 | 143.68 |
| 2. | Metallurgical Coke / Coke (all types) / Charcoal | 22.02 | 57.94 | 107.76 | 215.52 |
| 3. | Limestone | 13.91 | 35.92 | 71.84 | 143.68 |
| 4. | Any Other dry bulk cargo not specified above | 22.02 | 57.94 | 107.76 | 215.52 |

Notes:

- (1). *SEVEN Free Days* shall be allowed, after complete discharge of vessel's cargo or when the last package is discharged. For the purpose of calculation of free period, Sundays, Customs notified holidays and Terminal's non- working days shall be excluded.
- (2). *Ground rent / storage charges* shall be payable for all days including Sundays and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.
- (3). After 21 days beyond Free Days, the balance cargo shall be liable to be shifted to other place out of SWPL area at the sole cost and consequences to the importer / exporter.
- (4). For levy of ground rent / storage 'Day' shall be reckoned as from 7.00 a.m. to 7.00 a.m. of the following day.

II. Ground rent / Storage charges for Export / Outward cargo

(₹ per MT per day for the balance cargo in SWPL)

| Sl. No. | Particulars of Commodity | Rate for first Five days remaining after the Free Period | Rate for Sixth day to Tenth day | Rate for Eleventh day to Twentieth day | Rate for Twenty-first day onwards |
|---------|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. | Iron Pellets | 13.91 | 35.92 | 71.84 | 143.68 |
| 2. | Metal products, Steel Coils, Slabs and other general bulk cargo | 6.95 | 13.90 | 35.92 | 71.84 |

Notes:

- (1). In case of export cargo, Seven Free Days shall be allowed from the day the first lot of cargo / consignment has been received. For the purpose of calculation of free period Sundays, Customs notified holidays and Terminal's non-working days will be excluded.
- (2). After the prescribed free days, ground rent / storage charges shall be payable for all days including Sundays and Customs notified holidays as stated above.
- (3). After 21st day beyond free days, the balance cargo shall be liable to be shifted to other place out of SWPL area at the sole cost and consequences to the exporter.

- (4). For levy of ground rent / storage 'Day' shall be reckoned as from 7.00 a.m. to 7.00 a.m. of the following day.
- (5). If the entire cargo accumulated is not within the free period and the balance cargo is earmarked / linked to the next ship, further free period will be allowed from the date of production of documentation in support of this claim. Otherwise, penal ground rent at the appropriate rate applicable as per the rates prescribed in the above schedule shall be payable.

General Note to Section C:

- (1). Storage charges / ground rent on cargo shall not accrue for the period when the SWPL is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to SWPL.

**SECTION – D
DUST SUPPRESSION CHARGES**

The Dust Suppression Charges for water sprayed for suppression of dust for effective pollution control shall be levied on manifested quantity on Coal, Coke and Limestone at the following rates:

For Coal, Limestone and Coke: ₹ 3.94 per MT

This shall be levied from the stage of unloading from the vessel till the cargo is loaded onto railway wagons including storage at SWPL stackyard.

Part- III

OTHER SERVICES

1. VISITOR ENTRY PASS

| | Yearly | Monthly | Daily |
|----------------------|----------|---------|---------|
| (a). Per Application | ₹ 255.60 | ₹ 63.90 | ₹ 25.56 |
| (b). Per Replacement | ₹ 63.90 | ₹ 63.90 | ₹ 25.56 |

2. VEHICLE ENTRY PASS

Per Entry ₹ 95.85

Note: The vehicle entry fee will not be levied on vehicles entering / leaving the SWPL berths for delivery / dispatch of cargo.

3. PHOTOGRAPHY

| | |
|--|--------------------|
| (a). Film Shooting and Photography | ₹ 10863.00 per day |
| (b). Taking Photographs of Goods handled | ₹ 639.00 per day |
| (c). Taking Photographs of Crews and Others | ₹ 319.50 per day |
| (d). Videography (related to operational activities) | ₹ 3195.00 per day |

4. CRANE HIRE CHARGES

The hire charges for the SWPL's cranes installed at berth nos.5A and 6A shall be payable directly to SWPL for use for the purposes other than for cargo handling as per following rates:

(₹ per hour)

| | | |
|------|--|------------|
| (a). | For 104/70 MT capacity mobile harbour cranes | ₹ 37021.00 |
| (b). | For others cranes | ₹ 22213.00 |